संख्या-184/2026/2052/सैंतीस-2-2026/001-1(39)/07-93727

प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-03 सितम्बर, 2026

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-303/सा0-1/एक्स-120(187)/अनु./जि.यो./2026-27, दिनांक-11.08.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-04-पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) के मानक मद 29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-172.00 लाख (रूपये एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु क्षेत्र पंचायत को कार्यदायी संस्था नामित किया जाना समीचीन होगा। उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सामग्री मद में क्रय एवं वी.बी.जी.-रामजी मद से श्रम (मजदूरी क्रय) का अभिसरण कराया जायेगा।
2. अनुरक्षण के कार्यों में कजारिया सेरेमिक्स, सोमानी सेरेमिक्स, एच एण्ड आर जॉनसन एवं ओरिएण्ट बेल टाइल्स जैसी गुणवत्तायुक्त एवं अग्रणी कम्पनियों से टाइल्स खरीद कर उपयोग की जायें।
3. अनुरक्षण के कार्यों में एशियन पेन्ट्स, बर्जर पेन्ट्स, नेरोलैक पेन्ट्स एवं इ्यूलक्स पेन्ट्स जैसी गुणवत्तायुक्त एवं अग्रणी कम्पनियों से पेण्ट खरीद कर उपयोग किया जाये।
4. अनुरक्षण के कार्यों में गोदरेज, नीलकमल, अर्बन लैडर एवं पेपर फ्राई जैसी गुणवत्तायुक्त एवं अग्रणी कम्पनियों से फर्नीचर खरीद कर उपयोग किया जाये।
5. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अनुरक्षण कार्य हेतु गठित आगणन पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग अथवा उ0प्र0 शासन, जो भी सक्षम स्तर हो, का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
14. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
15. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
16. कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही उक्त कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
17. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,72,00,000 (रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403001010400 पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना) **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-184/2026/2052(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(39)/07-93727, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-184/ख्2026/2052/सैंतीस-2-2026/001-1(39)/07-93727, दिनांक-03 सितम्बर, 2026 का संलग्नक:-

पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (जि.यो.) वर्ष 2026-27

क्र0	जनपद का नाम	विभागीय संस्थाओं का नाम/स्थल	निर्माण का वर्ष	प्रस्तावित कार्य	लागत लाख में
1	महराजगंज	प.से.के. अध्या, वि.ख. परतावल	2017-18	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
2	महराजगंज	प.से.के. बरगदवा हरैया, वि.ख. फरेन्दा	2017-18	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
3	महराजगंज	प.से.के. पकड़ी नौनिया, वि.ख. सदर	2019-20	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
4	महराजगंज	प.चि. मुजूरी, वि.ख. पनियरा	2008-09	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
5	महराजगंज	प.चि. कोल्हुई, वि.ख. बृजमनगंज	2011-12	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
6	महराजगंज	प.चि. पैसिया बाबू, वि.ख. नौतनवा	2011-12	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
7	महराजगंज	प.चि. ठुठीबारी, वि.ख. निचलौल	1991-92	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
8	महराजगंज	प.चि. भिटौली, वि.ख. धुधली	2001-02	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
9	महराजगंज	प.चि. चौकरतनपुर, वि.ख. मिठौरा	2008-09	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
10	महराजगंज	प.चि. पुरन्दपुर, वि.ख. लक्ष्मीपुर	2011-12	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
11	महराजगंज	प.चि. वरियारपुर, वि.ख. सिसवा	1985-86	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
12	बहराईच	प.चि. मिहीरपुरवा, वि.ख.मिहीरपुरवा	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
13	बहराईच	प.चि. गायघाट, वि.ख. बलहा	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
14	बहराईच	प.चि. रूपईडीहा, वि.ख. नवाबगंज	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
15	बहराईच	प.चि. कुण्डासर, वि.ख. कैसरगंज	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
16	बहराईच	प.चि. जरवल रोड, वि.ख. जरवल	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
17	बहराईच	प.चि. किर्तनपुर, वि.ख. तेजवापुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
18	बहराईच	प.चि. महसी, वि.ख. महसी	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
19	बहराईच	प.चि. शिवपुर, वि.ख. शिवपुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
20	बहराईच	प.चि. कटरा बहादुरगंज, वि.ख. चित्तौर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
21	बहराईच	प.चि. विशेश्वरगंज, वि.ख. विशेश्वरगंज	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
22	बहराईच	प.चि. हरिहरपुर, वि.ख. हुजूरपुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
23	चन्दौली	प.चि. सदलपुरा, वि.ख. सकलडीहा	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
24	चन्दौली	प.चि. नौगढ़, वि.ख. नौगढ़	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
25	चन्दौली	प.चि. इलिया, वि.ख. शाहबगंज	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
26	चन्दौली	प.चि. चकिया, वि.ख. चकिया	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
27	चन्दौली	प.चि. चहनिया, वि.ख. चहनिया	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
28	चन्दौली	प.चि. सैयदराजा, वि.ख. बरहनी	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
29	चन्दौली	प.चि. नियमताबाद, वि.ख. नियमताबाद	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
30	चन्दौली	प.से.के. कमालपुर, वि.ख. धानापुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
31	चन्दौली	प.से.के. उतरौत, वि.ख. चकिया	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
32	चन्दौली	प.से.के. अजगरा, वि.ख. चहनिया	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
33	चन्दौली	प.से.के. भिषमपुर, वि.ख. चकिया	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
34	चन्दौली	प.से.के. दिघवट, वि.ख. सकलडीहा	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
35	चन्दौली	प.से.के. सैदूपुर, वि.ख. शाहबगंज	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
36	चन्दौली	प.से.के. कजहरा, वि.ख. बरहनी	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

37	चन्दौली	प.से.के. सिकरी, वि.ख. सदर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
38	सोनभद्र	प.चि. घोरावल, वि.ख. घोरावल	2018-19	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
39	सोनभद्र	प.चि. म्योरपुर, वि.ख. म्योरपुर	2018-19	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
40	सोनभद्र	प.चि. मधुपुर, वि.ख. करमा	2020-21	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
41	सोनभद्र	प.चि. जयमोहरा, वि.ख. चतरा	2011-12	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
42	सोनभद्र	प.से.के. मुडिलाडीह, वि.ख. घोरावल	2005-06	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
43	सोनभद्र	प.से.के. सिल्थम, वि.ख. चतरा	1995-96	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
44	सोनभद्र	प.से.के. मांची, वि.ख. नगवाँ	1995-96	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
45	सोनभद्र	प.से.के. सलखन, वि.ख. रा.गंज	1990-91	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
46	सोनभद्र	प.से.के. बड़गवाँ, वि.ख. चोपन	1988-89	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
47	मऊ	प.चि. खुरहट, वि.ख. रानीपुर	2007	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
48	मऊ	प.चि. अमिला, वि.ख. बडराव	2009	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
49	मऊ	प.चि. मर्यादपुर, वि.ख. फतहपुरमण्डाव	2010	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
50	मऊ	प.से.के. बरलाई, वि.ख. परदहा	2005	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
51	चित्रकूट	प.चि. राजापुर, वि.ख. रामनगर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
52	चित्रकूट	प.चि. लगीयारी, वि.ख. पहाड़ी	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
53	चित्रकूट	प.से.के. बरवारा, वि.ख. कर्वी	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
54	चित्रकूट	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र रौली कल्याणपुर, वि.ख. कर्वी	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
55	चित्रकूट	प.से.के. इटवा डडैला, वि.ख. मानिकपुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
56	चित्रकूट	प.से.के. बाराहमाफी, वि.ख. मानिकपुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
57	चित्रकूट	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र भिटारी, वि.ख. मऊ	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
58	बलिया	प.चि. खेजुरी, वि.ख. पन्दह	2005	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
59	बलिया	प.चि. बेरूआरबारी, वि.ख. बेरूआरबारी	2003	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
60	बलिया	प.चि. हनुमानगंज, वि.ख. हनुमानगंज	2000	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
61	बलिया	प.चि. भीमपुरा, वि.ख. नगरा	2005	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
62	बलिया	प.चि. बुद्धीपुर, वि.ख. सीयर	2002	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
63	बलिया	प.चि. नवानगर, वि.ख. नवानगर	2002	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
64	अम्बेडकरनगर	प.चि. टाण्डा, वि.ख. टाण्डा	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
65	अम्बेडकरनगर	प.चि. बरियावन, वि.ख. अकबरपुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
66	अम्बेडकरनगर	प.चि. हंसवर, वि.ख. बसखारी	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
67	अम्बेडकरनगर	प.चि. मालीपुर, वि.ख. जलालपुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
68	अम्बेडकरनगर	प.चि. रामनगर, वि.ख. रामनगर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
69	अम्बेडकरनगर	प.चि. महरूआ, वि.ख. कटेहरी	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
70	अम्बेडकरनगर	प.चि. तेन्दुआईकला, वि.ख. जहांगीरगंज	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
71	अम्बेडकरनगर	प.चि. रामपुर सकरवारी, वि.ख. जहांगीरगंज	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
72	लखनऊ	प.चि. सैदापुर, वि.ख. माल	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
73	लखनऊ	प.चि. हेवलक रोड, वि.ख. सदर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
74	लखनऊ	प.से.के. कुम्हरावा, वि.ख. बी.के.टी.	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
75	लखनऊ	प.से.के. काशिमपुर, वि.ख. गोसाईगंज	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
76	लखनऊ	प.से.के. दिलावरनगर, वि.ख. मलिहाबाद	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
77	बाराबंकी	प.चि. तिन्दोला, वि.ख. देवाँ	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

78	बाराबंकी	प.चि. लालपुर राजपुर, वि.ख. बनीकोडर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
79	बाराबंकी	प.चि. आवास सफेदाबाद, वि.ख. सफेदाबाद	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
80	बाराबंकी	प.चि. त्रिवेदीगंज, वि.ख. त्रिवेदीगंज	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
81	बाराबंकी	प.से.के. भानमऊ, वि.ख. हरख	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
82	बलरामपुर	प.चि. श्रीनगर, वि.ख. श्रीदत्तगंज	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
83	बलरामपुर	प.से.के. पिपरा, वि.ख. गैसड़ी	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
84	बलरामपुर	प.से.के. नन्दनगर, वि.ख. बलरामपुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
85	बलरामपुर	प.से.के. खगईजोत, वि.ख. बलरामपुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
86	बलरामपुर	प.से.के. चकवा, वि.ख. बलरामपुर	-	मरम्मत/रंगाई पुताई	2.00
योग-					**172.00**

(रूपये एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र)

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।